


प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकहत्तर'

परिशिष्ट/2007/39



अंश 5-0-3965
दि. 1.3.16

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : (0755)2768390, 92, 94, 95, फैक्स : (0755) 4272644, 4271268

क्रं./राशिके/वित्त/2007 /7098

भोपाल, दिनांक 10.9.07

आदेश

राजीव गांधी शिक्षा मिशन की राज्य कार्यकारणी की 36 वीं बैठक दिनांक 29.6.2007 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटोत्रा किया जाना है। संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता सम्मिलित कर दी जा रही एकजाई परिलब्धियों का नियोक्ता अंशदान अर्थात् शिक्षा मिशन द्वारा 13.61 प्रतिशत जिसमें (कर्मचारी भ.नि.अंशदान 12प्रतिशत प्रशासकीय प्रभार 1.10 प्रतिशत, निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि 0.5 प्रतिशत, निक्षेप बीमा निधि प्रशासकीय 0.01 प्रतिशत) तथा कर्मचारी अंशदान 12 प्रतिशत इस प्रकार कुल कटोत्रा राशि 25.61 प्रतिशत संविदा कर्मचारियों का जुलाई 2007 से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये जाने की कार्यवाही की जावे।

मिशन संचालक

पृ.क्र./राशिके/वित्त/2007 /7099

भोपाल दिनांक 10.9.07

प्रतिलिपि -

1. स्टाफ आफीसर, मुख्यसचिव, म.प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
4. अपर मिशन संचालक रा.गा.शि.मि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रशासक/नियुक्ति शाखा, रा.गा.शि.मि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला _____ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं जिला परियोजना संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला _____ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला _____ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राज्य शिक्षा विभाग
भोपाल-2

मिशन संचालक